न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर.ए.ए., कोटा

श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल एड० द्वारा दि० 4-4-22 को पेश की गई। P.O. सा० के समक्ष पेश हेतु — रीडर

RAA रीडर, बाद जांच पेश हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज०)

1. मांगीलाल पुत्र श्री गोपाल जाति लुहार (पांचाल) निवासी बोरीना, हाल मकान नम्बर-427, केशवपुरा, कोटा

2. बजरंगलाल पुत्र श्री गोपाल, जाति लुहार (पांचाल) निवासी बोरीना, हाल मंकान नम्बर-1133 बसंत विहार, कोटा (राज.)

3. रामकन्या पुत्री गोपाल पत्नी स्व. मोडूलाल, जाति लुहार, निवासी बोरीना, हाल पारलिया, तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.)

4. राधेश्याम पुत्र जमनालाल, जाति लुहार, निवासी बोरीना, हाल कबीर आश्रम की गली रंगबाड़ी, कोटा (राज.)

5. सत्यनारायण पुत्र श्री जमनालाल, जाति लुहार, निवासी बोरीना हाल कबीर आश्रम की गली रंगबाड़ी, कोटा (राज.)

6. रामप्रताप पुत्र श्री जमनालाल, जाति लुहार, निवासी बोरीना हाल नया गांव रावतभाटा रोड़, कोटा (राज.)

7. चन्द्रकला पुत्री श्री जमनालाल, पत्नी भंवरलाल, निवासी बोरीना हाल कबीर आश्रम की गली रंगबाड़ी, कोटा (राज.)

8. प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण, जाति लुहार (पांचाल) निवासी बोरीना हाल मकान नम्बर 782, केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज.)

9. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री कल्याण जाति लुहार (पांचाल) निवासी बोरीना हाल सेक्टर-4, मकान नम्बर-112 सेकिण्ड चौराहा केशवपुरा, कोटा

10. जुगल किशोर पुत्र श्री कल्याण, जाति लुहार निवासी बोरीना, हाल सेक्टर-4, म.नं.-45, सेकिण्ड चौराहा केशवपुरा, कोटा

4/4/22

....2

11.डॉ. हंसराज पुत्र कल्याण, जाति लुहार (पांचाल) निवासी बोरीना हाल डेन्टल सर्जन, मकान नम्बर-32-ए, सेकिण्ड चौराहा केशवपुरा कोटा

....अपीलान्ट्स

-बनाम-

1. रामकिशन पुत्र रामा, जाति लुहार
2. अजय कुमार पुत्र रामकिशन, जाति लुहार

निवासीगण ग्राम बोरीना, पटवार हल्का बटावदा, तहसील व जिला बारां हाल 1-यू-3, तलवण्डी, कोटा जिला कोटा (राज.)

3. भंवरी पत्नी श्री जमनालाल, जाति लुहार, निवासी बोरीना, हाल ग्राम व पोस्ट बटावदा जिला बारां (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बारां जिला बारां (राज.)

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 24.11.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां
प्रकरण संख्या-147/2018
बउनवान रामकिशन बनाम मांगीलाल
अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्ट्स निम्न निवेदन करते हैं:-

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ग्राम बोरीना, तहसील बारां जिला बारां की खसरा नम्बर-253,297,476,496 एवं खसरा नम्बर-507 की कुल 5 किता की 3.97 हेक्टर आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम-1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया। अधीनस्थ

4/4/22

...3

29
2022

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

मांगीलाल	बनाम	रामकिशन	
किस्म मुकदमा	धारा 223	अपील संख्या	41 /2022

अभिभाषक अपीलांट श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.22	पत्रावली पेश हुई । सरिस्ते की रिपोट का अवलोकन किया गया । अपील मियाद बाहर है जो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाये । अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित । अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 24.11.2021 के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध पेश की गई है । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी के मामले में तहसीलदार बारां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति मानते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बोरीना के मामले में पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन करने का आदेश पारित कर फाईनल डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व फाईनल डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.03.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये । अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अपीलांट के अभिभाषक द्वारा बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया व मुख्य रूप से जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अपीलांट को विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बंटवारे का नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के नियम की पालना मेण्डेट्री प्रावधान है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर सहमति बाबत अपीलांट के हस्ताक्षर भी नहीं हैं एवं डिक्री में वादी एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति दर्ज है । अभिभाषक प्रतिवादी की तरफ से किसी की उपस्थिति दर्ज नहीं है एवं अच्छी किस्म की आराजी खसरा नम्बर 157 की वादीगण को दी गई है एवं प्रतिवादीगण अपीलांट को टुकडे टुकडे में आराजी दी गई है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक है ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.11.2021 से पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त आदेशिका पर किसी भी पक्षकारान के सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं हैं । ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मामले में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति नहीं मानी जा सकती एवं अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना भी जाहिर नहीं होता । बंटवारा, बंटवारे के नियम 18 से 21 के तहत जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा नजीर 2011–12 (सप्लीमेट्री) आर आर टी पेज 698 पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम डिक्री के मामले में बंटवारा प्रस्ताव के मामले में आपत्तियां पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । पक्षकारान को सूचित करना भी आज्ञापक माना और प्रकरण में निर्णय विधि के प्रतिकूल मानते हुए अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 24.11.2021 निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 24.11.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां से विवादित आराजी के मामले में पुनः बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मंगवाये एवं अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को विभाजन पत्र पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनाक 16.05.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनुराग भार्गव)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा